निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 56 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी** के माह **05/2017 से 09/2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0, श्री मनीष श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0 तथा श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक **08.10.2018 से 11.10.2018** तक सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11/05/2017 से 17/05/2017 तक श्री नीरज च्रुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 08/2016 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2017 से 9/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- **मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी** में लोक निर्माण विभाग के निर्माण एवं रख-रखाव के कार्य/ कार्य क्षेत्र वृत्त- टिहरी एवं उत्तरकाशी

इकाई को बजट आंवाटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है |

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
2016-17	_	_	35.52	34.20			_	1.32
2017-18	_	-	70.84	70.24			_	0.60
2018-19 (upto 09/2018)		-	61.86	53.30			-	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16					
2016-17					
2017-18)			**शून्य**		
2018-19					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु अधिक व्यय के आधार पर चयनित किया गया। विस्तृत जांच हेतु लेखापरीक्षा मे अधिक व्यय के आधार पर N/A का चयन किया गया।

1. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
2. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी **क्रमशः लागू नहीं** तक की गयी।
3. फार्म-51 माह **लागू नहीं** तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है :

भाग प्रथम: रु N/A

भाग दितीय: रु

5. खंड के उच्चंत लेखो का अवशेष माह **लागू नहीं** के अंत मे

(क)प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : रु

(ख)सामग्री क्रय : रु

(ग) नगद परिशोधन :

(घ) निक्षेप :

(ङ) भंडार :

भाग-II (ब)

प्रस्तर -1: विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण मे कमी के कारण रु 353.30 लाख के कार्य का अपूर्ण रहना

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न खंडो के अंतर्गत चल रहे 05 कार्य जो वर्ष 2014 से वर्ष 2016 के मध्य थे तथा जिनकी कुल लागत 353.30 लाख थे, पर ग्रामीणो से प्रतिकर के कारण विवाद, गाँव की सुरक्षा हेतु ग्रामीणो का विवाद, अनुकूल मौसम का न होना, अत्यधिक वर्षा होने एवं विभाग मे मैक्सफाल्ट न होने की वजह से 09 माह से 22 माह तक की समयावृद्धि देने के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके थे। उक्त देरी के कारण न केवल सामग्री एवं श्रमिक दरो मे वृद्धि के कारण न केवल कार्य की लागत मे वृद्धि की संभावना अपितु कार्य आंशिक रूप से ही पूर्ण रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अनुबंध अवधि से भी अधिक अवधि हेतु समयावृद्धि एवं विभाग मे लंबे अवधि से मैक्सफाल्ट उपलब्ध न होने से कार्य पूर्ण होने मे देरी विभागीय अनुश्रवण मे कमी का द्योतक है।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर मे तथ्यो को स्वीकार्य करते हुये उत्तर मे बताया गया की भविष्य मे अनुबंध गठित करने के पूर्व स्टॉक पूर्ण रूप से सुनिश्चित एवं समयवृद्धि के सम्पूर्ण प्रकरण को संज्ञान मे लेते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण मे कमी के कारण रु 353.30 लाख के कार्य 09 माह से 22 माह बाद भी अपूर्ण थे, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
02/2017-18	Nil	03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………………………………Nil…………………………………………………………

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**

2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) Nil

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	**अवधि**
ई. जी.एस. पांगली	मुख्य अभियन्ता	(03/11/2016 से 17/09/2018)
ई0 अयाज़ अहमद	मुख्य अभियंता	(18/09/2018 से अब तक)

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-**

नाम	पदनाम
लागू नहीं	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (आर्थिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2